## <u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> <u>जिला बैतूल</u>

<u>दांडिक प्रकरण क :- 226 / 14</u> संस्थापन दिनांक:--11 / 04 / 14 फाईलिंग नं. 233504003002014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला—बैतूल (म.प्र.)

.....अभियोजन

वि रू द्ध

गजानंद पिता छित्तुजी रावत, उम्र 25 वर्ष, निवासी पाण्डे मोहल्ला आमला, थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्त

# <u>—: (नि र्ण य ) :—</u> (आज दिनांक 05.08.2016 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा—25 (1—बी) (बी) सहपठित धारा 4 के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 04.04.2014 को सुबह 09:45 बजे या उसके लगभग सोमवारी चौक आमला, थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार छुरी जिसकी कुल लंबाई 10 इंच, चौड़ाई 1 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया।
- 2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 04.04. 2014 को प्रधान आरक्षक गोविंदराव कोलेकर को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि अभियुक्त मेन मार्केट सोमवारी चौक आमला में खुली लोहें की छुरी हाथ में लेकर लहराते हुए आने जाने वाले लोगों को डरा धमका रहा है। सूचना पर वह हमराह स्टाफ एवं रहागीर साक्षी के साथ मौके पर गया जहां अभियुक्त हाथ में लोहे की छुरी लिये मिला जो लोगों को डरा धमका रहा था जिसे उसके द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया। अभियुक्त से छुरी रखने का लायसेंस पूछने पर नहीं होना बताने पर अभियुक्त से एक लोहे की छुरी जप्त की गयी तथा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 260/14 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र

#### प्रस्तुत किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

### 4 <u>न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :—</u>

"क्या अभियुक्त ने दिनांक 04.04.2014 को सुबह 09:45 बजे या उसके लगभग सोमवारी चौक आमला, थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार छुरी जिसकी कुल लंबाई 10 इंच, चौड़ाई 1 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया ?"

### ।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

- 5 गोविंदराव कालेकर (अ.सा.—4) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 04.04.2014 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए करबा भ्रमण के दौरान मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर उसने हमराह स्टाफ के साथ सोमवारी चौक मेन मार्केट आमला पहुंचा जहां अभियुक्त हाथ में लोहे की छुरी लेकर आने जाने वालों को डरा धमका रहा था जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया तथा छुरी रखने के संबंध में लायसेंस न होना बताये जाने पर उसने अभियुक्त से गवाहों के समक्ष एक लोहे की धारदार छुरी जप्त कर (प्रदर्श प्री—1) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री—2) का गिरफ्तारी पत्रक तथार किया था। इस साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने थाना वापस आकर अपराध क. 260 / 14 में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री—5) लेख की थी। साक्षी ने रवानंगी एवं वापसी का रोजनामचा सान्हा (प्रदर्श प्री—6) को प्रमाणित किया है। साथ ही साक्षी ने व्यक्त किया है कि अभियुक्त के कब्जे से जप्त की गयी धारदार छुरी आर्टिकल—ए है।
- 6 यादोराव (अ.सा.—1) ने अपने समक्ष अभियुक्त से पुलिस द्वारा जप्ती एवं उसकी गिरफतारी से इंकार किया है। साक्षी ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री—1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री—2) पर अपने हस्ताक्षर से भी इंकार किया है। साक्षी शेख अलीम (अ.सा.—3) ने भी उसके समक्ष अभियुक्त से पुलिस द्वारा जप्ती एवं उसकी गिरफतारी से इंकार किया है परंतु साक्षी ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री—1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री—2) पर अपने हस्ताक्षर से होना बताया है। अभियोजन द्वारा उक्त दोनों ही साक्षियों से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न

पूछने पर भी अभियोजन के पक्ष में कोई तथ्य उनके कथन से प्रकट नहीं हुआ है।

- 7 प्रकाश (अ.सा.—2) ने अपने न्यायालयीन कथन में वर्ष 2014 में पुलिस थाना आमला में आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए प्रधान आरक्षक गोविंदराव कोलेकर के साथ करबा भ्रमण के दौरान सूचना मिलने पर सोमवारी चौक जाना जहां अभियुक्त हाथ में धारदार छुरी लिये मिलना जिससे प्रधान आरक्षक गोविंदराव द्वारा छुरी जप्त करना तथा अभियुक्त को गिरफ्तार करना बताया है।
- 8 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी यादोराव (अ.सा.—1) एवं शेख अलीम (अ.सा.—3) ने अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है। अतः मात्र पुलिस साक्षियों के कथनों के आधार पर अभियोजन का मामला प्रमाणित नहीं माना जा सकता। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।
- 9 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ एम०पी० ऐ.आई.आर.1973 एससी 2783 अवलोकनीय है। जिसके अनुसार पंच साक्षीगण की पुष्टि के आभाव में भी एक मात्र जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। अतः बचाव अधिवक्ता के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में एवं विवेचक साक्षी गोविंद कोलेकर (अ.सा.—4) एवं प्रकाश (अ.सा.—2) की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।
- गोविंदराव कोलेकर (अ.सा.—4) एवं प्रकाश (अ.सा.—2) ने यह बताया है कि करबा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिलने पर वे सोमवारी चौक आमला गये थे जहां पर अभियुक्त गजानंद हाथ में धारदार छुरी लिये मिला था जिससे गवाहों के समक्ष छुरी जप्त की गयी और उसे गिरफ्तार किया गया। गोविंदराव कोलेकर (अ.सा.—4) ने यह भी बताया है कि थाने वापस आकर उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गयी थी। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 5 में उक्त साक्षी ने बचाव के इस सुझाव को गलत बताया है कि जप्तशुदा आर्टिकल—ए पर थाने की सील अंकित नहीं है। इसी पैरा में उक्त साक्षी ने बचाव के इस सुझाव को गलत होना बताया है कि आर्टिकल—ए धारदार नहीं है। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 6 में उक्त साक्षी ने यह सही बताया है कि उसके द्वारा संपूर्ण कार्यवाही 25 मिनट में ही पूर्ण कर ली गयी थी। स्वतः में साक्षी ने कहा है कि घटना स्थल थाने के पास ही था और वह मौके पर पैदल गया था।

- 11 जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री–1) के अवलोकन से यह दर्शित नहीं हो रहा है कि जप्तशुदा आयुध को गवाहों के समक्ष जप्त किये जाने के उपरांत उसे सीलबंद किया गया हो। जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री–1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री–2) में अपराध क्रमांक लेख है जिससे इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उक्त प्रपत्र जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही उपरांत तैयार किये गये होंगे। जप्ती पत्रक में अभियुक्त से कथित आयुध की जप्ती सुबह 09:45 पर की जाना लेख है, जबिक वापसी रोजनामचा सान्हा (प्रदर्श प्री–6) के अवलोकन से यह दर्शित है कि अभियुक्त से जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही उपरांत थाना वापस आने का समय 09:10 मिनट लेख है। जप्ती पत्रक में जप्ती किये जाने का समय सुबह 09:45 बजे लेख होने से जप्ती की संपूर्ण कार्यवाही संदेहास्पद प्रतीत होती है क्योंकि जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही उपरांत थाना वापस आकर मात्र अपराध की कायमी की जाती है। अतः ऐसी दशा में एकमात्र विवेचक साक्षी गोविंदराव कोलेकर (अ.सा.–4) के कथनों पर विश्वास करके अभियुक्त से कथित आयुध की जप्ती को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं माना जा सकता।
- 12 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 04.04.2014 को सुबह 09:45 बजे या उसके लगभग सोमवारी चौक आमला थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत सार्वजनिक स्थान में अपने आधिपत्य में एक लोहे की धारदार छुरी प्रतिबंधित आकार की बिना वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया। अतः अभियुक्त गजानंद को धारा 25(1–बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
- 13 प्रकरण में जप्त सुदा लोहे की धारदार छुरी अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।
- 14 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 15 आरोपी द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित । मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)